कार्यकारी सार

भारत में माल आयात किये जाने और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात किये जाने पर (संविधान की सांतवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (अधिनियम) के अंतर्गत उद्ग्रहित किया जाता हैं, और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम तथा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित किया जाता हैं।

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) शामिल होते थे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और स्पिरिट को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन राजस्व विभाग (डीओसी) केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संघीय कर के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्यों को सीबीआईसी द्वारा पूरे देश में 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर किया जाता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति का आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है।

2018-19 के दौरान ₹23.08 लाख करोड़ मूल्य का निर्यात (1,33,60,422 लेन-देन) और ₹35.95 लाख करोड़ मूल्य का आयात (1,21,88,592 लेन-देन) किया गया। जीडीपी अनुपात के प्रति सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.62 *प्रतिशत* थी जबकि सकल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां

छह *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 *प्रतिशत* थीं।

सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के अन्य कोई उद्ग्रहण, एफटीपी के अंतर्गत लागू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये आयात और निर्यात के लेन-देन और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये विशिष्ट अनुपालन के क्षेत्र शामिल होते हैं। इस वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क आयुक्तालयों/ डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) और विकास आयुक्त-विशेष आर्थिक ज़ोन (डीसी-सेज) में ''कारण बताओं नोटिस (एससीएन) और अधिनिर्णयन प्रक्रिया'' की समीक्षा की गयी। इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेन-देन वित्तीय वर्ष (वि.व) 2018-19 से संबंधित हैं परन्तु कुछ मामलों में समग्र स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के लेन-देनों की भी समीक्षा की गई है।

कुल 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 48 को नमूना जांच के लिए चयनित आयुक्तालयों के नमूने में शामिल किया गया। हमने लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अधीन कार्यरत 285 निर्धारण इकाईयों और 206 गैर-निर्धारण इकाईयों की लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट द्वारा भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में इलैक्ट्रोनिक रूप से फाईल किये गये बिल ऑफ एंट्री (बीई) और शिपिंग बिलों (एसबी) की जांच पर आधारित थी। गैर-ईडीआई सीमा शुल्क स्थानों पर, बीई और एसबी को मूर्त रूप से फाईल और निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस स्वचालित चरणों की श्रृंखला द्वारा डेटा को प्रसंस्कृत करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) का प्रयोग करती है और इसके परिणामस्वरूप इलैक्ट्रानिक निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण सुनिश्चित करता है कि क्या बीई पर कार्यवाही की जाएगी अर्थात् निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा या माल की जांच होगी या दोनों होगें या शुल्क के भुगतान के बाद और बिना किसी निर्धारण और जांच के प्रत्यक्ष रूप से निकासी कर दी जाएगी। हमने आरएमएस और मैनुअल मूल्यांकन प्रणाली दोनों द्वारा संसाधित बीई और एसबी की लेखापरीक्षा की।

एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंस फाईलों की नमूना जांच द्वारा डीजीएफटी के अधीन 28 आरए में एफटीपी के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन की लेखापरीक्षा की गई थी।

यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में बंटी हुई है। अध्याय । डीओआर और डीओसी के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, भारत के आयात और

निर्यात, सेजों के निष्पादन, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाया और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय II सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन करता है। अध्याय III, IV और V में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किये गये हैं। इस रिपोर्ट में ₹10,909 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के 114 पैराग्राफ हैं। ₹62 करोड़ के धन मूल्य सहित 93 पैराग्राफ में, एससीएन जारी करने, एससीएन पर अधिनिर्णय करने के रूप में विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और 66 मामलों में ₹32 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

डीओआर और डीओसी से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त स्थान पर रिपोर्ट में शामिल किया गया हैं।

अध्याय I: विहंगावलोकन- सीमा शुल्क राजस्व

- 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के उत्पाद पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आईजीएसटी, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किये जाने वाले लागू बीसीडी के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय विलासिता और डीमेरिट माल पर भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर उद्ग्राहय है। शिक्षा उपकर के साथ-साथ एंटी डंपिंग शुल्क और संरक्षण शुल्क का उद्ग्रहण अपरिवर्तित है।

{पैराग्राफ 1.4.2}

- वि.व. 2017-18 में प्राप्त की गयी ₹1,29,030 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों के सापेक्ष वि.व. 2018-19 के दौरान ₹1,17,813 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियां की गई थी। वि.व. 2018-19 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में कमी के कारणों में से एक कारण इस तथ्य के लिए जिम्मेदार हो सकता है कि सीवीडी और एसएडी, जो सीमा शुल्क प्राप्तियों का हिस्सा हुआ करते थे, जीएसटी की शुरूआत के बाद उन्हें आईजीएसटी में शामिल कर लिया गया।

{पैराग्राफ 1.6.1 से 1.6.3}

- वि.व. 2018-19 के दौरान आयात में 19.78 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निर्यात में उसी अवधि के दौरान 17.95 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.7}

अध्याय II: सी.ए.जी का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

- वि.व. 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/आरए को 353 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2,299 अभ्युक्तियां में ₹3,296 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था। इनमें से वि.व. 2018-19 के दौरान देखे गए ₹10,909 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 114 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। शेष मामलों में संबंधित क्षेत्रीय संगठनों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III: कारण बताओं नोटिस और अधिनिर्णयन प्रक्रिया

- एक एससीएन तब जारी किया जाता है जब विभाग निर्धारिती को किसी भी कार्यवाही का पूर्वाग्रह करता है, जिसमें उसे अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाता है। एससीएन, अधिनियम की धारा 28(1) या 28(4) के अंतर्गत ऐसे मामलों में दिया जाता है, जहां सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो या कम भुगतान किया गया हो या गलत तरीके से प्रतिदाय दिया गया हो। अधिनियम की धारा 28(1) या 28(4) के अंतर्गत एससीएन जारी किए जाने के बाद अधिनिर्णयन किया जाता है जो अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। अधिनिर्णयन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद एक लिखित मूल आदेश (ओआईओ) होगा जिसमें मामले के तथ्यों का विवरण और अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अधिनिर्णयन आदेश का औचित्य होगा।
- 25 सीमा शुल्क आयुक्तालयों, डीजीएफटी के 12 आरए और आठ डीसी-सेज़ में लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा ने वि.व. 2016-17 से 2018-19 के दौरान एससीएन की अधिनिर्णयन प्रक्रिया, जारी किए गए एससीएन और पारित ओआईओ तथा 31 मार्च 2019 को अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन की जांच की।
- लेखापरीक्षा ने एससीएन के जारी करने में खामियों, अधिनिर्णयन तक जाने वाली प्रक्रिया और कार्यविधि में कमियां, अधिनिर्णयन और समीक्षा आदेशों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव और आंतरिक नियंत्रण और अनुवीक्षण में कमी को पाया। ₹10,649 करोड़ की राशि के मुल्य के साथ कुल 141 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया गया था।
- एससीएन जारी करने और सीमा शुल्क आयुक्तालयों में अधिनिर्णयन प्रक्रिया की लेखापरीक्षा में नोटिस पूर्व परामर्श (पीएनसी) स्तर से अधिनिर्णयन

आदेशों के जारी होने और समीक्षा आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही तक विभिन्न स्तरों पर अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अननुपालन का पता चला।

- एक तरफ, लाइसेंस धारक को निर्यात दायित्व (ईओ) के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए एक सरल पत्र जारी करने के बजाय एससीएन जारी किए गए थे और दूसरी तरफ, एससीएन को निर्धारित अवधि के भीतर जारी करने में विफलता ने उन्हें कालातीत बना दिया। अधिनियम की धारा 28(4) के अंतर्गत विस्तारित समय को उन मामलों में भी लागू किया गया था, जहां एससीएन को अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत सामान्य अवधि के भीतर जारी किया जाना था।
- सेज़ के मामले में, तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करने के कारण अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा एससीएन को ड्रॉप करने के साथ-साथ डीसी द्वारा एससीएन के जारी करने में हुई देरी को देखा गया।
- विदेश व्यापार (विकास और विनियम) {एफटीडीआर} अधिनियम, 1992 में, एससीएन को जारी करने और उनके अधिनिर्णयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के प्रावधानों के न होने से चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए आरए और डीसी के प्रशासनिक प्राधिकारियों के पास विवेकाधिकार रहने दिया और सरकारी राजस्व की वसूली में परिहार्य देरी हुई। आरए द्वारा एससीएन जारी करने में उल्लेखनीय देरी देखी गई हालांकि ईओ अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी जिसमें ऐसे भी मामले शामिल थे जहां ईओ अवधि, 2 से 11 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी।
- एससीएन निर्धारित समय सीमा से बाद अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे जिसमें निर्धारित समय सीमा से बाद अधिकतम लम्बन 182 महीने का था बावजूद इसके कि एससीएन के अधिनिर्णयन की समय-सीमा अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। उन मामलों में भी जहां अधिनिर्णयन पूरा हो गया था, लंबित मामलों में, 37 प्रतिशत मामले जो कुल राजस्व का 32 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते है, काफी देरी थी व उनका अधिनिर्णयन 6 महीने से भी अधिक की देरी से हुआ। अनुमेय संख्या से परे व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) दिया गया था और अंतिम पीएच के बाद भी अधिनिर्णयन आदेश के जारी करने में देरी देखी गई थी, जिसके कारण राजस्व का परिहार्य अवरोधन हुआ। विश्वसनीय दस्तावेजों (आरयूडी) के अभाव में जोकि

एससीएन जारी करने की एक बुनियादी आवश्यकता है, एससीएन, अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

- एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में, पीएच के निर्धारण के संबंध में, निर्धारित प्रावधानों के अभाव में, यह देखा गया कि डीसी, संख्या की सीमा के बगैर, पीएच उपलब्ध करा रहे थे, जिससे अधिनिर्णयन में देरी हो रही थी।
- जबकि अधिनिर्णयन प्रक्रिया स्वय: ही देरी से त्रस्त थी, सीमा शुल्क आयुक्तालय और आरए दोनों में ही अधिनिर्णयन आदेशों की अनुवर्ती कार्यवाही में भी कमियां देखी गई।
- डीआरआई आसूचना एकत्रण और जांच तंत्र (डीआईजीआईटी) को 1 अप्रैल 2018 से सीमा शुल्क अपराधों के एक पूर्ण डेटाबेस बनाने के उद्देश्य के साथ अनिवार्य बना दिया, जो आंशिक रूप से कार्यात्मक पाया गया था।
- सीमा शुल्क आयुक्तालयों में महत्वपूर्ण निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में भी खामियों को देखा गया जैसे मासिक प्रगति रिपोर्ट में डेटा संबंधी विसंगतियां, अपूर्ण एससीएन और पुष्ट मांग रजिस्टर। तथ्य शीट तैयार करने के बावजूद अधिनिर्णयन आदेश जारी न करने से आरए की शिथिल निगरानी स्पष्ट होती है।
- सीमा शुल्क विभाग और आरए द्वारा प्रस्तुत निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) लाइसेंसों के मोचन की प्रास्थिति में विसंगतियों को देखा गया। यह भी देखा गया कि सीमा शुल्क विभाग, डीजीएफटी के निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) निगरानी प्रणाली जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, पर उपलब्ध ईओडीसी विवरणों का उपयोग नहीं कर रहा था, जिससे उन मामलों में भी एससीएन को बंद नहीं किया जा सका जहां डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, ईओ निगरानी पर स्थायी आदेश और संस्थागत तंत्र के माध्यम से सीमा शुल्क और आरए के बीच सूचना साझा करने के बावजूद वहां कोई भी स्थापित तंत्र मौजूद नहीं है और विभाग का स्वतंत्र ढांचे के रूप में कार्य करना जारी है।

- लेखापरीक्षा अनुशंसा:

(i) *मंत्रालय एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में एससीएन जारी करने और स्थगित करने के लिए विशिष्ट समय सीमा प्रदान करने पर विचार कर सकता है*

(ii) *एससीएन का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्तकर्ता को उचित अवसर देने और असीमित पीएच की अनुमति देने के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी के असीमित विवेकाधिकार का प्रतिबंध संबंधी प्रावधान का व्याख्यान, एफटीडीआर अधिनियम, 1992 में भी, सीमा शुल्क अधिनियम की तर्ज पर अनुमेय पीएच संख्या को शामिल करने की आवश्यकता है।*

(iii) *निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम के अनुसार एससीएन को जारी और अधिनिर्णन करने पर उचित और समय पर कार्रवाई की।*

(iv) *अधिनियम की अनुचित धारा के तहत एससीएन जारी करने सहित अनियमितताओं के मामलों की विस्तार से जांच की जा सकती है और भूल और चूक की त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है।*

(v) *डीआईजीआईटी के तहत परिकल्पित सीमा शुल्क अपराध के डेटाबेस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।*

(vi) *आरए की निगरानी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी के ईओडीसी निगरानी प्रणाली के बीच समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।*

(vii) *जैसा कि लेखापरीक्षा ने केवल मामलों के एक नमूने की जाँच की है, विभाग अन्य सभी मामलों की भी जाँच कर सकता है और प्रणालीगत कमियों को पहचान सकता है।*

{पैराग्राफ 3.1 से 3.5}

अध्याय IV: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

- वर्ष 2018-19 के लिए आयात और निर्यात लेन-देन का डेटा प्राप्त नहीं हुआ था। डेटा की अनुपस्थिति में अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय के निष्कर्ष, क्षेत्र में की गई सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे। हालांकि, नमूना जांच में देखी गई लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की रेंज प्रणालीगत कमियों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें विभाग द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

- 2018-19 के दौरान कुल 1.22 करोड़ बीई और 1.34 करोड़ एसबी उत्पन्न हुए थे, जिसमें से लेखापरीक्षा ने 4.09 लाख बीई और 2.21 लाख एसबी का चयन किया। इस रिपोर्ट में सीमा शुल्क आयुक्तालयों में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान पाए गए ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रतिवेदित किया गया था। लेखापरीक्षा ने, जहां भी लागू हो, वर्ष 2017-18 के लिए सीबीआईसी से प्राप्त आयात डेटा का उपयोग करके समान लेन-देन की कुल संख्या सुनिश्चित करके राजस्व के लिए संभावित जोखिम की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया है।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता था:

I. अधिसूचनाओं का गलत लागू होना

II. आयातों का गलत वर्गीकरण

III. लागू उदग्रहणों और अन्य प्रभारों का गलत उदग्रहण

- लेखापरीक्षा ने अधिसूचनाओं के गलत लागू होने, आयात किए गए माल के गलत वर्गीकरण और लागू उदग्रहणों और अन्य प्रभारों के गलत उदग्रहण के कारण लागू होने योग्य सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 86 मामलों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 233 करोड़ का राजस्व, जोखिम इत्यादि में था।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.13}

प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मामलों को देखा जिसमें आरएमएस ने निकासी अनुमत की, भले ही निर्धारित आयात शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। आरएमएस को लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित मामलों को संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन हो और एक बार बीई के सिस्टम के माध्यम से गुजरने पर लागू शुल्क स्वत: प्रभारित हो सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया हैं और प्रतिवेदन के अध्याय IV में भी चर्चा की गई है।

- अधिसूचना के गलत लागू होने के कारण आई फोन (स्मार्ट फोन) आयात पर बीसीडी का कम उदग्रहण।

{पैराग्राफ 4.7.1}

- 'कैमरा माइयूल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली' को दी गई गलत छूट पर बीसीडी का कम उदग्रहण।

{पैराग्राफ 4.7.2}

- न्यूनतम आयात कीमत से नीचे प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात।

{पैराग्राफ 4.7.3}

- फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट।

{पैराग्राफ 4.8.3}

- कारपेट और अन्य कपड़े के फलोर कवरिंग के आयात पर आईजीएसटी दर का गलत लागू होना।

{पैराग्राफ 4.8.5}

अनवरत अनियमितताएं

सेज़ में इकाइयों से लागत वसूली (स्थापना) प्रभारों की गैर-उगाही और पिछलें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को फ्लैग किए गए आयातों को गलत वर्गीकरण के ऐसे ही दृष्टांतों का सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संगठनों में प्रतिवेदित किया जाना जारी रहा, जोकि सीबीआईसी के इन आश्वासनों के बावजूद था कि उनके क्षेत्रीय संगठनों को, ऐसे ही मामलों की सावधानीपूर्वक जांच के लिए संवेदनशील बनाया गया हैं।

कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

- डेवलपर्स से लागत वसूली प्रभारों की गैर उगाही।

{पैराग्राफ 4.12.1}

- पशुचारे के लिए मशीनरी का गलत वर्गीकरण।

{क्र. सं. 5, अनुबंध 9}

- आरएफआईडी टैग का गलत वर्गीकरण।

{क्र. सं. 6, अनुबंध 9}

सामान्य अनुशंसाएं

हालांकि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन यह इंग्ति किया जा सकता है कि इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा पैराग्राफ, केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटियां, चाहे वह आरएमएस आधारित निर्धारणों में हों या मैनुअल निर्धारणों में हो, कई और मामलों में हो सकती हैं। लेखापरीक्षा ने जहां भी लागू हो, वि.व. 2017-18 के लिए सीबीआईसी से प्राप्त आयात डेटा का प्रयोग करते

हुए ऐसे ही लेन-देनों के कुल यूनिवर्स को सुनिश्चित करके राजस्व की संभावित जोखिम की मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया है। इनकी विभाग द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है।

यह नोट करना तर्कसंगत है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए बड़ी संख्या में बीई को आरएमएस के माध्यम से निर्धारित किया गया था जो इस बात का संकेत देता था कि सिस्टम आधारित निर्धारण को सरल बनाने के लिए आरएमएस में मैप किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे।

आरएमएस में जोखिम पैरामीटरों के मैपिंग और अद्यतन करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 4.7 से 4.11}

अध्याय V: एफटीपी की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

एफटीपी की निर्यात संवर्धन योजनाओं में अनियमितताएं

- 28 आरए की नमूना लेखापरीक्षा में निर्धारित नियमों, एफटीपी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं और ईओ को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के बारे में प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों को उजागर किया। ₹ 27.74 करोड़ का राजस्व उन निर्यातकों/आयातको से देय था, जिन्होंने निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत शुल्क का लाभ उठाया था, लेकिन निर्धारित बाध्यताओं/शर्तों को पूरा नहीं किया था।
- रिपोर्ट की गई अनियमितताओं, विशेष रूप से ईओ को पूरा न करना और एफटीपी के अनुसार निर्यातकों/आयातकों द्वारा अन्य शर्तों को पूरा न करने का मामला व्यापक प्रतीत होता है और इसे डीजीएफटी, नई दिल्ली और सीबीआईसी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले केवल निर्देशी है जो लेखापरीक्षा की जांच पर आधारित है तथा नियम व प्रक्रियों की भूल-चूक की त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता। विभाग को सलाह दी जाती है कि इन सभी ईपीसीजी व अन्य योजनाओं की शर्तों को पूरा ना करने के मामलों की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करें। लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में बचत शुल्क की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.3}